न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	किस्म मुकदमा	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.49/2025 (GCMS No. 2025/133)	अपील	29.09.2025	10.02.2026

श्री रामभरोस पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी मोडसा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत मोडसा, तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

— अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, बून्दी

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, बून्दी
निर्णय दिनांक 13.08.2025 प्रकरण संख्या 44/2021

उपस्थितः—

1. अपीलांट की ओर से श्री महावीर मीणा, एडवोकेट।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार (रसद)।

:: निर्णय ::

अपीलांट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2025 से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 8(5) आवश्यक वस्तु (विनियमन व वितरण) आदेश, 1976 एवं धारा 15(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 इस न्यायालय में संस्थित की है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जिसे बहाल करवाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 49/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025/133 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपीलांट के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि अपीलांट के नाम ग्राम पंचायत मोडसा, तहसील नैनवां जिला बून्दी में नियमानुसार उचित मूल्य वस्तुऐं एवं सामग्री का वितरण करने के लिए एक प्राधिकार संख्या 999/2008 रेस्पोडेंट द्वारा जारी किया हुआ है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, अपीलांट को साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय दिनांक 13.08.2025 पारित कर उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया, उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से व विधिक प्रावधानों की पालना के बिना पारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय में अपीलांट के ऊपर गबन के आरोप लगाये गये है जो निहायत गलत है, क्योंकि अपीलांट की दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, क्योंकि तत्समय अपीलांट की दुकान बन्द थी व ताला लगा हुआ था, इस कारण प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा अपीलांट की दुकान का न तो भौतिक सत्यापन किया गया और न ही दुकान खोल का चेक की गई बल्कि प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना स्टोक चेक किये स्टोक के संबंध में अपनी रिपोर्ट बना दी एवं पोस मशीन के आधार पर अपीलांट को गबन का आरोपी बना दिया गया, जो गलत है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र लगभग 17 वर्ष से जारी हो रहा है, अपीलांट के ऊपर आज तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है न ही ऐसा कोई गबन अपीलांट ने किया है। अपीलांट को नोटिस की विधिक सूचना प्राप्त नहीं हो पाई एवं अपीलांट कार्यालय में उपस्थित हुआ लेकिन अपीलांट से कोई जवाब नही लिया गया, बल्कि अपीलांट के खिलाफ की गई कार्यवाही मनमानी है। अपीलांट ने प्राधिकार पत्र की शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं किया है। दस्तावेजों की समुचित जांच किये बिना एवं भौतिक सत्यापन किये बिना एकपक्षीय रूप से पारित किये गये निर्णय में अपीलांट के ऊपर लगाये गये सभी आरोप भ्रामक व असत्य है, उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2025 को निरस्त किया जाकर प्राधिकार पत्र को बहाल करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार (रसद) ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि प्रवर्तन अधिकारी नैनवां द्वारा दिनांक 09.05.2025 को उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत मोडसा का निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार मशीन में गेहूं के अंतिम स्टॉक की मात्रा 32592.50 किग्रा. दर्ज है, किन्तु दुकान पर गेहूँ का कोई स्टॉक भौतिक रूप से नहीं पाया गया, इस प्रकार डीलर द्वारा 32592.50 किग्रा. गेहूं का गबन किया जाना पाया गया। जिससे उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञापत्र दिनांक 12.05.2025 को निलंबित किया जाकर स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किये गये। निलंबित डीलर द्वारा नोटिस का संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश, 1976 के खंड

जिला कलक्टर बून्दी

8(1) के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/– जब्त सरकार किया गया, जो न्यायोचित है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ है कि श्री रामभरोस मीणा को उचित मूल्य दुकान, मोडसा के लिए प्राधिकार पत्र संख्या 999/2008 जारी किया हुआ था। प्रवर्तन अधिकारी नैनवां द्वारा दिनांक 09.05.2025 को उचित मूल्य दुकान मोडसा का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान पर गेहूँ का कोई स्टॉक नहीं मिला। आवंटित पोस मशीन संख्या 12843 में दर्ज ऑनलाईन स्टॉक के अनुसार दुकान पर 32592.54 किग्रा. गेहूँ का स्टॉक गायब मिला। जिस कारण प्राधिकार पत्र संख्या 999/2008 को कार्यालय आदेश दिनांक 12.05.2025 से निलंबित किया गया तथा उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से गेहूं का वितरण किये जाने के लिए दिनांक 30.05.2025 से निकटतम उचित मूल्य दुकानदार श्री रामफूल मीणा ग्राम पंचायत डोकून को वैकल्पिक व्यवस्थार्थ नियुक्त किया गया, किन्तु निलंबित डीलर श्री रामभरोस मीणा द्वारा विभागीय आदेशों के बावजूद अस्थाई व्यवस्थार्थ नियुक्त डीलर श्री रामफूल मीणा को गेहूं की कोई मात्रा नहीं संभलाई गई। दिनांक 04.07.2025 को मात्र पोस मशीन सुपुर्द की गई। तत्समय पोस मशीन में 32287.54 किग्रा. गेहूं का ऑनलाइन स्टॉक दर्ज था, जो डीलर द्वारा सुपुर्द नहीं किया गया। इससे निलंबित उचित मूल्य दुकानदार श्री रामभरोस द्वारा 32287.54 किग्रा. गेहूँ के स्टॉक के गबन किया जाना पाया गया। इस हेतु निलंबित उचित मूल्य दुकानदार श्री रामभरोस को दिनांक 07.07.2025 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसके क्रम में अप्रार्थी नियत पेशी दिनांक 30.07.2025 को उपस्थित नहीं हुआ किन्तु डीलर द्वारा दिनांक 01.08.2025 को लिखित जवाब पेश किया गया। अपीलांट द्वारा जवाब में नोटिस में अंकित आरोपों के संबंध में कोई तर्कसंगत कारण नहीं बताया गया और न ही कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। इसके बाद पुनः दिनांक 01.08.2025 को नियत पेशी दिनांक 11.08.2025 के लिए नोटिस जारी किया गया, जिस पर निलंबित डीलर रामभरोस मीणा बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आया और न ही जवाब पेश किया गया। इस प्रकार निलंबित डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई। इस कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 और राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाये जाने से श्री रामभरोस मीणा उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत मोडसा को जारी प्राधिकार पत्र सं. 999/2008 को निरस्त किया जाकर जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/– जब्त सरकार की गई।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपीलांट द्वारा अपील में प्रथम आपत्ति प्रकट की गई कि अपीलांट की दुकान बन्द थी व ताला लगा हुआ था, इस कारण प्रर्वतन अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और न ही दुकान खोलकर चेक की गई बल्कि अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना स्टॉक चेक किये अपनी रिपोर्ट बना दी गई। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदन उचित मूल्य दुकानदार दिनांक 09.05.2025 का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट है कि श्री रामभरोस मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मोडसा की उपस्थिति में उक्त मौका निरीक्षण पर्चा तैयार किया गया है। एफपीएस के स्टॉक और पीओएस मशीन के कार्यभार लेने देने की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 पर श्री रामफूल मीणा व श्री रामभरोस मीणा के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार किये जाने का अपीलांट का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील में यह भी आपत्ति प्रकट की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको सुने बिना, साक्ष्य व दस्तावेज लिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया, जो त्रुटिपूर्ण है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कारण बताओं नोटिस दिनांक 07.07.2025 के अवलोकन से प्रकट है कि दिनांक 09.5.2025 को उचित मूल्य दुकान मोडसा का मौका निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी अनियमितताओं के क्रम में जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 07.07.2025 जारी किया गया, किन्तु अपीलांट के नियत पेशी दिनांक 30.07.2025 को उपस्थित नहीं आने से पुनः कारण बताओं नोटिस दिनांक 01.08.2025 जारी किया गया। उक्त नोटिस पर श्री रामभरोस मीणा द्वारा दिनांक 01.08.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आने के दौरान प्राप्त करने के हस्ताक्षर अंकित है। नोटिस तामील होने पर अप्रार्थी अपीलांट द्वारा अपना जवाब पेश किया गया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा दी गई पोस मशीन खराब हो जाने से प्रार्थी गेहू को बाट नहीं सका। किन्तु उचित मूल्य दुकान पर पोस मशीन में अंकित भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाये गये 32287.54 किग्रा. गेहूं के संबंध में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने बचाव में कोई वैध दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। इस प्रकार सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश जारी किये जाने का अपीलांट का आरोप भी प्रमाणित नहीं पाया गया है।

यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि वक्त निरीक्षण उक्त उचित मूल्य दुकान पर पोस मशीन में दर्ज गेहूँ उचित मूल्य दुकान पर भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं था। इस कारण उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिये जाने के उपरान्त निलंबित डीलर द्वारा अचेटमेंट दुकानदार को पोस मशीन में दर्ज गेहूं का ऑनलाईन अवशेष स्टॉक नहीं संभलाया गया तथा निलंबन काल में विभागीय नियमों एवं दिशा–निर्देशों की निरंतर अवहेलना कर

जिला कलक्टर, बूंदी

पोस मशीन से अवैध रूप से गेहूँ का आहरण कर इसे उपभोक्ताओं के बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा पोस मशीन से वितरण कर निलंबित डीलर द्वारा पोस मशीन में दर्ज ऑनलाइन स्टॉक को कम किये जाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में उक्त उचित मूल्य दुकान पर अनियमितता कर 32287.54 किग्रा. गेहूं का गबन किये जाने संबंधी तथ्य प्रमाणित पाये गये है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की विवेचना से स्पष्ट होता है कि जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रकरण में निरीक्षण रिपोर्ट की जांच करवाई गई तथा जांच रिपोर्ट के संबंध में उचित मूल्य दुकानदार को सुनवाई हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किये गये, किन्तु अपीलांट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में उचित मूल्य दुकान में पायी गई अनियमितताओं के संबंध में विभागीय कार्यवाही में अंकित तथ्यों को असत्य साबित करने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जिससे प्रमाणित होता है कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानदार श्री रामभरोस मीणा को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विभागीय निर्देशों एवं नियमों को मद्देनजर रखते हुये तथ्यों की विवेचना की जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाये जाने पर प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का आदेश दिनांक 13.08.2025 पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी गयी। ऐसे में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)